समूह 'क' के अधिकारियों हेतु

राजभाषा पदक एवं पुरस्कार हेतु आवेदन प्रपत्र

वित्तीय वर्ष 2021–22 (1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक) के दौरान कार्यालयीन कामकाज में हिन्दी के उत्कृष्ट प्रयोग हेतु पुरस्कार योजना

1.	अधिकारी का नाम	: .....
2.	पदनाम	: .....
3.	विभाग / अनुभाग (जिसमें संदर्भित वित्तीय वर्ष में पदस्थ थे)	: .....
4.	हिन्दी ज्ञान की स्थिति (कार्यसाधक / प्रवीण)	: .....
5.	फाइलों पर हिन्दी टिप्पणियों की स्थिति	: .....
6.	कम्प्यूटर पर हिन्दी में कामकाज की स्थिति	: .....
7.	मूल पत्राचार में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति	: .....
8.	हिन्दी / अनुवाद संबंधी प्रशिक्षण की स्थिति	: .....
9.	बैठकों में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति	: .....
10.	अधीनस्थ कार्मिकों को हिन्दी में कामकाज के लिए प्रेरणा व प्रोत्साहन का स्तर	: .....
11.	राजभाषा प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित कार्यशालाओं / तिमाही बैठकों / प्रतियोगिताओं / अन्य कार्यक्रमों में प्रतिभागिता	: .....
12.	राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की दिशा में तकनीकी नवाचार	: .....
13.	अधीनस्थ कार्यालय में द्विभाषी रबर मुहर / पत्रशीर्ष के प्रयोग की स्थिति	: .....
14.	अधीनस्थ कार्यालय में प्रदर्शन सामग्री / उपस्थिति पंजी / फाइलों के शीर्षक में हिन्दी प्रयोग की स्थिति	: .....

15.	अधीनस्थ कार्यालय में धारा 3(3) से संबंधित दस्तावेजों को द्विभाषी/हिन्दी में जारी किये जाने की स्थिति	
16.	हिन्दी भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र के अंतर्गत प्रकाशित विशिष्ट कृतियाँ	

घोषणा पत्र

मैं.....(नाम).....(पदनाम/विभाग) घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन प्रपत्र में दी गईं सभी सूचनाएँ एवं संलग्न साक्ष्य मेरी जानकारी में पूर्णतः सत्य हैं। यदि किसी स्थिति में यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य असत्य हैं तो मेरा आवेदन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

अधिकारी के हस्ताक्षर
दिनांक : .....

सामान्य निर्देश :

1. समूह 'क' के अधिकारी संवर्ग में 'राजभाषा पदक एवं पुरस्कार' हेतु विश्वविद्यालय के समस्त विभागों/अनुभागों/केन्द्रों में नियमित रूप से कार्यरत समस्त अधिकारीगण, भले ही वे तकनीकी क्षेत्र के हों या प्रशासनिक क्षेत्र के, पात्र होंगे।
2. विश्वविद्यालय के सांविधिक पदों यथा– कुलसचिव, वित्ताधिकारी, परीक्षा नियंत्रक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष पर कार्यरत अधिकारीगणों की अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. आवेदन प्रपत्र के साथ सभी साक्ष्यों की स्वप्रमाणित प्रति अवश्य संलग्न करें।
4. निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. एक बार आवेदन प्रपत्र (साक्ष्य/दस्तावेजों सहित) जमा होने के उपरांत उसमें अन्य कोई दस्तावेज जोड़े या घटाए नहीं जा सकेंगे।
6. आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न घोषणा-पत्र हस्ताक्षरित न होने पर आवेदन स्वीकार्य नहीं किया जायेगा।
7. दस्तावेजों के साक्ष्य के तौर पर केवल उन्हीं पत्रों/आदेशों/परिपत्रों/दस्तावेजों को मान्य किया जायेगा जिन्हें वास्तव में सम्बन्धित कार्यालय द्वारा जारी किया गया है। आवश्यक होने पर समिति द्वारा किसी भी समय किसी भी संलग्न दस्तावेज की जाँच की जा सकती है।
8. 'एक ही प्रकृति के दस्तावेज' या 'दस्तावेजों की पुनरावृत्ति' स्वीकार्य नहीं होगी।
9. पदक प्रदान किए जाने में समिति/सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।